Clause 28 was added to the Bill.

Clauses 29 to 31 were added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, I shall take up clause 32. There is one amendment (No. 4) by Shri Matilal Sarkar. Are you moving the amendment?

SHRI MATILAL SARKAR: Sir, I am not moving.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, I shall put clause 32 to vote.

Clause 32 was added to the Bill.

Clauses 33 to 47 and the First Schedule were added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, I shall take up Second Schedule. There are three amendments (No. 5-7) by Shri Matilal Sarkar. Are you moving the amendment?

SHRI MATILAL SARKAR: Sir, I am not moving. But I only want that full democratisation should be extended in due course.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, I shall put the Second Schedule to vote.

The Second Schedule was added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRIMATI D. PURANDESWARI: Sir, I move:

That the Bill be passed.

The question was put and the motion was adopted.

———

HALF-AN HOUR-DISCUSSION

On points arising out of the answer given in the Rajya Sabha on the 7th March, 2008 to unstarred question no. 831 regarding "Requirement of Wheat for Distribution of BPL families"

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (राजस्थान): माननीय उपसभापति महोदय, पिछले तीन सत्र से मेरा प्रयास था कि गरीब और गरीब की समस्याओं को लेकर मेरे प्रश्न ...**(व्यवधान)**...

श्री राजनीति प्रसाद (बिहार): सर, रात के 08:45 हो चुके हैं।

श्री उपसभापति: राजनीति प्रसाद जी, आप बैठिए। ललित किशोर जी, आप जल्दी पूछिए।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी: सर, कमाल है, यह क्या कर रहे हैं!

श्री उपसभापति: ठीक है, आप बोलिए।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी: मैं प्रयास कर रहा था कि आधे घंटे की चर्चा के माध्यम से मैं गरीब और गरीबों की समस्या के प्रति अपनी बात सदन में रख सकूं, किन्तु मुझे सफलता नहीं मिली। आज भी अगर सफलता मिली है तो 05:00 बजे के बजाए 08:45 बजे और उस पर भी आप जल्दी कर रहे हैं।

श्री उपसभापति: मैं जल्दी नहीं कर रहा हूं, हाऊस का consensus है, मैं जल्दी नहीं कर रहा हूं, मैं तैयार हूं बैठने के लिए।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी: मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे इसका अवसर दिया है और मंत्री महोदय को भी बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने भी यहां रहकर इस बात को तय किया कि आज यह विषय निश्चित रूप से सदन के सामने आ जाए। पिछले बजट सत्र में मैने और डा. ज्ञान प्रकाश पिलानिया ने अतारांकित प्रश्न 831 पूछा था, 7 मार्च, 2008 को सदन के पटल पर उसका उत्तर रख दिया गया। मेरा ही नहीं, इस क्रम में लगातार आठ बार तारांकित और अतारांकित सवाल हुए। श्री मतिलाल सरकार चले गए, उन्होंने 592 प्रश्न किया था, 28 नवम्बर को 981 में यह सवाल किया गया, 12 मार्च, 2008 को किया गया और फिर मेरे द्वारा प्रश्न संख्या 1,358 किया गया। मैं यह जानना चाहता था कि गरीबी की रेखा का तात्पर्य क्या है? दूसरा यह जानना चाहता था कि गरीबी की रेखा के सीमा निर्धारण घटकों में कौन-कौन से घटक हैं, जिनके बारे में सरकार विचार कर रही है? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हर बार, हर उत्तर में एक ही उत्तर दिया गया कि यह विषय हमारा नहीं है, इस विषय को योजना आयोग तय करता है। बड़ा आश्चर्य हुआ! क्या योजना आयोग सरकार का भाग नही है? क्या वह कोई अलग विभाग है या अलग इकाई है? ऐसा लगता है कि लगातार उस प्रश्न को टालने के लिए मंत्री महोदय कहते रहे कि यह विषय मेरा नहीं है, यह योजना आयोग का विषय है, उससे उत्तर पूछिए। मेरा इस सवाल को करने के पीछे उद्देश्य यह था कि गरीब को भूख से बचाने के लिए सरकार के पास कोई कार्यक्रम है या नहीं, पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न भी उपलब्ध है या नही या इन गरीब या भूखे लोगों के पास खाद्यान्न खरीदने की शक्ति है भी या नहीं? इस सवाल के पीछे तीन उद्देश्य थे, उसका कारण यही था कि जिस गरीबी के विषय में पिछले 40 साल में बहुत नारे लगाए गए, ऐसे लोक-लुभावन नारे उछाले गए - अपना हाथ गरीब के साथ, गरीब को गणेश, पिछड़े को पहले, last men in the last row, दरिद्र नारायण से पहले, ...**(व्यवधान)**... आप कमाल कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली गरीबी का उन्मूलन करेगी, खाद्यान्नों का आबंटन ठीक होगा और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना कार्यक्रम, सम्पूर्ण ग्रामीण स्वरोजगार योजना, इनकी चर्चा की गई। मैं स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी के कथन को आपके सामने क्वोट करना चाहते हूं, वे कहते थे कि 'इन कार्यक्रमों और योजनाओं के मात्र 15 पैसे ही गरीब तक पहुंचते हैं, बाकी बिचौलिए खा जाते हैं, बाहुलबी हड़प जाते हैं।' सवाल उठता है कि गरीबी क्या है? अगर यह well define नहीं किया गया और उनके अनुसार निश्चय नहीं किया गया, तो उनको राहत कैसे देंगे? मैं यहां उल्लेख कर रहा हूं, मेरे प्रश्न का उत्तर आपके पास है। I am quoting, "The Planning Commission estimates the incident of poverty at national and State level from the large sample survey on household consumer expenditure conducted by the National Sample Survey Organisation following the methodology contained in the Report of Expert Group on estimation of proportionate number of poor. The poverty line used by the Planning Commission is based on a minimum level of food and non-food consumption which is necessary for subsistence." इस subsistence का रूपांतर करके देखिए, भाषांतर करके देखिए कि subsistence के मायने क्या हैं? इसके मायने हैं कि गरीब भूखा न मर जाए। इससे साफ है कि गरीबी की सीमा रेखा उस स्तर पर निर्धारित किया जाए, जहां न आदमी जिंदा रहता है और न आदमी मरता है। अब योजना आयोग की गरीबी रेखा को देखिए। 1973-74 के मूल्यों पर ग्रामीण क्षेत्रों में 49 रुपए और शहरी क्षेत्रों में 67 रुपए प्रति माह व्यक्ति उपभोग करने का निर्धारण किया गया है, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 किलो कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में 2100 किलो कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रति दिन आवश्यकता का मानदंड है, जब कि अंतर्राष्ट्रीय मानदंड 2700 किलो कैलोरी है।

श्री उपसभापति: चतुर्वेदी जी, माफ करिए। यह तो wheat के procurement और supply के बारे में आपका सवाल है, पर आप जो सवाल कर रहे हैं, उ.वह बी.पी.एल. के मानदंड के बारे में है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी: महोदय, बी.पी.एल. का निर्धारण नहीं होगा, तो उसे खाद्यान्न कैसे मिलेगा?

श्री उपसभापति: देखिए चतुर्वेदी जी, यहां बी.पी.एल. के निर्धारण का सवाल नहीं है। बी.पी.एल. के ऊपर चर्चा हो सकती है, पर यह चर्चा नहीं है। यह तो आपके सवाल के ऊपर Half an Hour का Discussion दिया गया है। You have to confine to Q.No. 831. ...*(Interruptions)*... यहां background की जरूरत नहीं है। आप अपने सवाल के ऊपर बात कीजिए ...**(व्यवधान)**...

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी: उपसभापति महोदय, अगर बी.पी.एल. की संख्या नहीं मिलेगी ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: इसलिए जब आपने पूछा कि बी.पी.एल. का मानदंड क्या है, तो उन्होंने कहा कि यह हमारे अधीन नहीं आता है। फिर आप बी.पी.एल. का पूछेंगे तो वे फिर वहीं कहेंगे कि this is not our domain. इसलिए आप supply of wheat पर पूछिए।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी: उपसभापति महोदय, एक सवाल के जवाब में बताया गया कि 22 करोड़ 09 लाख 24 हजार गांवों में और 08 करोड़ 07 लाख 96 हजार शहरों में 30 करोड़ 17 लाख 20 हजार व्यक्तियों को गरीबी रेखा के नीचे न मानकर उन्हें खाद्यान्न नहीं दिया जाना है। अगर इनके खाद्यान्न का calculation नहीं होगा, तो उस गरीब को खाद्यान्न कहां से मिलेगा? इसलिए मैंने यह बात quote की है। मैं कहना चाहता हूं कि आज हालत क्या है? गेहूं 14 से 15 रुपए प्रति किलो हो गया है, दालें 36 से 40 रुपए प्रति किलो हो गई हैं, तेल, सब्जी, दूध और घी ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: चतुर्वेदी जी, यहां सवाल अलग है और आप पूछ अलग रहे हैं। मैं क्या करूं? आप अपना सवाल पढ़िए।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी: उपसभापति महोदय, मैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर कहना चाहता हूं, मैंने जिसकी चर्चा की है। 6.52 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, यह 2000 की आबादी का अनुमान है।

श्री उपसभापति: यहां वह सवाल ही नहीं है। मैं आपको कैसे allow करूं? आप जो बोल रहे हैं, वह अलग है। परंतु यहां पर प्रश्न इस प्रकार है, the question is: (a) in order to distribute wheat of cheap rate at existing level to BPL families, how much quantity of wheat is required, Statewise; (b) the quantity of available wheat..; (c) the scheme for the supply of the rest of the wheat; (d) whether it is a fact that any scheme of purchasing wheat for public distribution through open market...; (e) whether it is also a fact that by increasing the sale price of wheat, less quantity of wheat... Everything is on wheat. अब तक आपने wheat का सवाल ही नहीं उठाया है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी: उपसभापति महोदय, मैं wheat का सवाल उठा रहा हूं। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि अगर जिन लोगों को गेहूं का आबंटन करना है, उनकी सीमा का ठीक निर्धारण नहीं हुआ। वह संख्या मैं आपको बताने में कामयाब नहीं होता। आपके माध्यम से मैं उनको बताने में कामयाब नहीं हुआ, तो क्या होगा?

श्री उपसभापति: देखिए, मुश्किल यह है कि अगर मंत्री यह कहें कि पी.बी.एल. उनके तहत नहीं है, तो आपकी यह पूरी exericse बेकार हो जाएगी। यह 7th March, 2008 का क्वेश्चन है। ...**(व्यवधान)**...

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी: उन्होंने आंकड़ा वही दिया है, ऐसे लोगों की कैलकुलेशन का। उन्होंने कहा है कि 2000 की आबादी के अनुसार 9 किलो गेहूं प्रति माह मिलना चाहिए। अब आप आंकड़े उठाकर देख लीजिए, इतना गरीबों को आबंटित नहीं होता, न सुलभ है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, his question is also very clear. He has not said anything about BPL families.

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी: प्रोक्योरमेंट करके गेहूं उन्हीं को तो देंगे!

श्री उपसभापति: तो वह पूछिए... आप वह सवाल पूछिए।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी: उपसभापति महोदय, उस सवाल को करने के लिए अगर मैं संख्या नहीं बताऊंगा ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: ऐसे मुश्किल होगी चतुर्वेदी जी, ऐसा नहीं करना चाहिए। I should not tell you because you are an experienced Member. You were a Minister also.

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी: मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि प्रश्न गेहूं और चावल की उपलब्धि का है।

श्री उपसभापति: गेहूं का है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी: इनके आंकड़ों के अनुसार तीन करोड़ टन खाद्यान्न की प्रति वर्ष आवश्यकता सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के माध्यम से वितरण करने की न्यूनतम बताई है। अगर प्रति व्यक्ति नौ किलो प्रति माह भी गेहू मिले, तो 4.25 करोड़ बनता है। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि जब तीन करोड़ खाद्यान्न आप केवल बांट रहे हैं और 4.2 करोड़ की कुल संख्या है, जिसको बांटना है, और उसके बाद कह दिया कि वर्तमान भंडार को देखकर हम गेहूं को निर्यात करना चाहते हैं, क्या आप लोगों को भूखे मारना चाहते हैं? इसीलिए इस बात को लेकर मैं कुछ सवाल आपसे करना चाहता हूं। सवाल नंबर एक, क्योंकि आखिर टोटल कैलकुलेशन करने के लिए जिनको खाद्यान्न देना है, गरीबों की सीमन रेखा निर्धारित करने वाले कौन-कौन से घटक हैं, आठ सालों में मूल्य वृद्धि का आकलन क्या हुआ, गरीबों को खाद्य सुरक्षा मिलती रहे, इसके लिए कैलोरी का मापदंड और अंतर्राष्ट्रीय ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: आपने इस सवाल में गरीब का नाम ही नहीं लिया है। इसमें कैलोरीज का सवाल नहीं है। आप कुछ और पूछ रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मेरी समझ में यह बात नहीं आ रही है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी: देखिए, जो खाद्यान्न का वितरण करते हैं, बी.पी.एल. और ए.पी.एल. दोनों का करते हैं।

श्री उपसभापति: इसमें कहां हैं? मैं मानता हूं कि यह महत्वपूर्ण सवाल है, मगर यह इससे संबंधित नहीं है। यह जो आपको allow किया गया है, Unstarred Question No. 831, यह allow किया गया है Half-an-hour discussion के लिए। इसमें आप मूल विषय को छोड़कर दूसरे विषय को नहीं ला सकते हैं। तो आप जो बोल रहे हैं कि बी.पी.एल. का क्या मापदंड है, यह किस तरह से है, कितनी कैलोरीज देनी है, यह ठीक है, यह जानना चाहिए, मगर इसमे नहीं। Half-an-hour इसलिए नहीं दिया गया है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी: फिर मैं specific होकर सवाल करता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि जैसा मैंने कहा कि केवल तीन करोड़ टन उपलब्ध है और आपके हिसाब से 5.20 करोड़ टन उपलब्धता चाहिए, उसका आप क्या करेंगे? उसी तरह जो इस सारे को प्रोक्योर करने की पॉलिसी आपकी बनी है, अगर वह पॉलिसी गलत हुई, अन्न ही नहीं हुआ, अन्न को आप बाहर भेजते रहे, तो गरीबों को क्या देंगे? इसीलिए मैं चाहता हूं कि जो आपका वायदा है कि हम बी.पी.एल. और ए.पी.एल. परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से अनुदानित मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध कराएंगे, आप इसको कैसे सुनिश्चित करेंगे? इन सवालों के साथ मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि ठीक कैलकुलेशन कीजिए कि कितने लोगों को देना है? कितने लोग हैं, जिनको आवश्यकता है? उसके लिए कितना अन्न चाहिए? चावल कितना चाहिए, गेहूं कितना चाहिए? आप दे रहे हैं, वह कितना कम है? स्थिति क्या बनेगी, इसके बारे में कृपया बताने की कृपा करें।

श्री उपसभापति: माननीय मंत्री जी, आप जवाब दें।

श्री एस.एस. अहलुवालिया (झारखंड): सर, मंत्री जी जवाब दें, उससे पहले मुझे एक सवाल पूछना है। **...(व्यवधान)...** सर, यह सवाल इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण उठाया है।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री और उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेख प्रसाद सिंह): दोनों गेहूं खा-खाकर पुष्ट हैं, तब भी सवाल **...(व्यवधान)...**

श्री एस.एस. अहलुवालिया: आप remark मत कीजिए, मैं आपके भले की बात करने जा रहा हूं।

श्री उपसभापति: बोलिए, बोलिए।

श्री एस.एस. अहलुवालिया: हम क्या खाते हैं, वह पता लगेगा, तो आप रोने लगेंगे। जो इनका सवाल है, वह बहुत महत्वपूर्ण है। इन्होंने चार सवाल किए थे।

डा. अखिलेश प्रसाद सिंह: सवाल जितने भी होंगे, उत्तर सरल होगा।

श्री एस.एस. अहलुवालिया: आप मेरी बात सुन लीजिए। आपने जो सवाल का जवाब 2008 में दिया, वही गलत दिया। गलत इसलिए था कि मंत्रालय आपका नहीं है और आपने उस मंत्रालय का उल्लेख कर दिया। बी.पी.एल. की डेफिनेशन प्लानिंग कमीशन डिसाइड करता है, कंज्यूमर अफेयर्स नहीं करता है।

श्री उपसभापति: वही मैं कह रहा हूं।

श्री एस.एस. अहलुवालिया: यह मेरा कहने का मतलब है। आधा सवाल इनका है, आधा सवाल उनका है, आधा सवाल प्लानिंग कमीशन का है। इस प्रकार नारायणसामी घेरे में आ जाएंगे। **...(व्यवधान)...**

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री और योजना मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री वी. नारायणसामी): आप मुझे घेरे में ले लीजिए।

श्री एस.एस. अहलुवालिया: इस प्रकार सारे सवाल का जबाव खाली इनको दे दिया गया। **...(व्यवधान)...** यह टारगेटिड पीडीएस का दिया गया, कानून बना दिया गया, लेकिन बीपीएल की परिभाषा प्लानिंग कमीशन डिसाइड करता है। उनका कोई आदमी यहां उपलब्ध नहीं है, जवाब उनको मिलकर देना चाहिए था, न ही जवाब आया है, न ही फाइल में जवाब दिया है और न ही यहां आएगा। वे फिर घुमाकर यही कह देंगे कि उन्होंने जो फिक्स किया उसके हिसाब से मैं **...(व्यवधान)...**

डा. अखिलेश प्रसाद सिंह: अहलुवालिया साहब, बिना जवाब सुने आप कैसे कह सकते हैं?

9.00 P.M.

श्री एस.एस. अहलुवालिया: यही कारण है कि केरल, छत्तीसगढ़, पश्चिमी बंगाल, बिहार, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश - हरेक राज्य यह मांग कर रहा है। आपने टारगेटिड बीपीएल के नाम पर परिभाषा बदल दी। क्रीमी लेयर का कहां से ले आए, कहां से क्या कर दिया, उनका जो एलोकेशन है, वह कम कर दिया। यही कारण है कि डा. रमन सिंह जो चावल बाबा बन गए, वह सिर्फ इसीलिए बन गए कि इन्होंने चावल काटा और उन्होंने चावल बांटा। इस प्रकार यह जो गड़बड़ी है, उस गड़बडी को सुधारने के लिए मेरे ख्याल से आधे घंटे की चर्चा में इसका उत्तर आने वाला नहीं है।

डा. अखिलेश प्रसाद सिंह: उपसभापति महोदय, मैं गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के लिए खाद्यान्नों की उपलब्धता का मुद्दा उठाने के लिए माननीय सदस्य श्री ललित किशोर चतुर्वेदी जी और श्री एस.एस. अहलुवालिया जी का आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने लोक महत्व के सवाल को उठाया है। मैं अपेक्षा करता था कि चतुर्वेदी साहब कुछ गंभीर प्रश्न उठाएंगे।

श्री उपसभापति: उनके हिसाब से गंभीर है।

डा. अखिलेश प्रसाद सिंह: लेकिन उन्होंने बहुत हल्के ढंग से प्रश्न को उठाया। सर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि यूपीए सरकार के आने के बाद जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, यह हमारी सरकार की प्राथकिता ही नहीं, प्रतिबद्धता भी रही है। उन्होंने अपने संबोधन में ठीक ही कहा कि गरीबी रेखा का निर्धारण हमारी मिनिस्ट्री नहीं करती है, यह रिसपांसिबिलिटी योजना आयोग की है। मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि जो लास्ट आकलन हुआ था, उसके अनुसार हमारे देश में 6 करोड़ 52 लाख परिवार गरीबी रेखा के नीचे के हैं। मुझे लगता है कि चतुर्वेदी साहब से समझने में कहीं भूल हुई है। ये जो 35 किलो गेहूं का आबंटन समझ रहे हैं, उससे मल्टीप्लाई करके अपना हिसाब लगा रहे होंगे। लेकिन उसमे केवल गेहूं नहीं है। हर परिवार को प्रति माह भारत सरकार जो 35 किलो अनाज उपलब्ध कराती है, उसमें गेहूं, चावल और कोर्स ग्रेन है। वह रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है कि वहां खाने की क्या परम्परा है, किस तरह से लोग खाते हैं। कुछ स्टेट्स में लोग चावल ज्यादा खाते हैं और कुछ स्टेट्स में गेहूं की ज्यादा डिमांड होती है। उसके अनुसार रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स अनाज मुहैया कराती रही हैं। जहां तक उनका सवाल है, मैं सदन को बताना चाहता हूं कि जो Central Issue Price फिक्स हुआ था, उस समय यूपीए की सरकार नहीं थी, अहलुवालिया साहब उस सरकार में मंत्री थे। एनडीए के ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: वे मंत्री नहीं थे।

श्री विजय जवाहरलाल दर्डा (महाराष्ट्र): वे मंत्री नहीं थे पर मंत्री जैसे लगते थे।

श्री एस.एस. अहलुवालिया: वह तो सारी उम्र लगूंगा किन्तु बनूंगा नहीं। बन गया तो आप क्या करोगे?

डा. अखिलेश प्रसाद सिंह: जिसका मैंने जिक्र किया कि बी.पी.एल. परिवार में जो 6 करोड़ 52 लाख परिवार हैं, उसमें अंत्योदय अन्न योजना का भी परिवार है। अंत्योदय अन्न योजना के परिवार के लिए हम दो रुपए किलो गेहूं उपलब्ध कराते हैं, तीन रुपए किलो चावल उपलब्ध कराते हैं। बी.पी.एल. परिवार के लिए चार रुपए कुछ पैसे किलो गेहूं उपलब्ध कराते हैं, पांच रुपए पैसठ पैसे किलो चावल उपलब्ध कराते हैं। जब 2001 में Central issue price तय हुआ था, उस समय जो economic cost था, प्रोक्योरमेंट पर जो कॉस्ट आता था, वह गेहूं के मामले में आठ रुपए, नौ रुपए प्रति किलो या आठ सौ, नौ सौ रुपए प्रति क्विंटल आता था, आज हमारा procurement price

बढ़ा है, जिसकी आप चर्चा कर रहे थे कि महंगाई बढ़ी है, उस हिसाब से economic cost भी बढ़ा है। फिर भी हमने जैसा पहले कहा कि यह हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है। हमने Central issue price में कोई इजाफा नहीं किया है। हमको भले ही गेहूं और चावल का चौदह सौ रुपए, अठारह सौ रुपए के आसपास प्रति क्विंटल procurement price आता हो, लेकिन आज भी हम गरीबों को, अंत्योदय अन्न योजना के परिवारों को, जो समाज का सबसे गरीब परिवार है, अंतिम सीढ़ी पर बैठा हुआ व्यक्ति है, उसको हम आज भी दो रुपए किलो का गेहूं दे रहे हैं। उसी हिसाब से तीन रुपए किलो चावल भी दे रहे हैं। इसलिए आप यह नहीं कह सकते कि हमने उसको बढ़ाने का काम किया है, भले ही हमारी कॉस्ट कोई भी हो। इसी सदन में आरोप लगता रहा है कि बाहर से गेहूं क्यों मंगा रहे हो। हमने 2006 में 55 लाख टन गेहूं और 2007 में 18 लाख टन गेहूं बाहर से आयात किया था, फिर भी हमने अपने यहां के गरीब परिवारों को उसी Central issue price पर गेहूं उपलब्ध कराने का काम किया है। चतुर्वेदी साहब, आपको यह जानकर खुशी होगी कि हम लोगों ने जो करेक्टिव मेजर्स लिए, किसानों के लिए जो न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने का काम किया, आज तक 50 के दशक से 10 पंचवर्षीय योजनाओं का आप आकलन देख लीजिए, सेन्टर में कोई भी सरकार रही हो, लेकिन जब किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने की बात होती थी, तो उसमें बहुत छोटी सी बढ़ोत्तरी 10 रुपए प्रति क्विंटल या 20 रुपए प्रति क्विंटल की जाती थी। अहलुवालिया साहब, 80 के दशक में एक बार यही हुआ था। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि वाजपेई जी के प्रधानमंत्रित्वकाल के अंतिम साल में गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 620 रुपए प्रति क्विंटल था। तो इस बार हम जो गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य अपने देश के किसानों को देने जा रहे हैं, पिछली बार एक हजार रुपए प्रति क्विंटल दिया था, इस बार 1080 रुपए प्रति क्विंटल मिलेगा।

श्री एस.एस. अहलुवालिया: यह भी बतला दीजिए कि 2004 में गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों की संख्या क्या थी।

डा. अखिलेश प्रसाद सिंह: जितनी बातें आपने कही हैं, उन सबके बारे में बताऊंगा।

श्री एस.एस. अहलुवालिया: अभी आपने यह संख्या 6 करोड़ बताई है। It is a news to me.

डा. अखिलेश प्रसाद सिंह: 6 करोड़ 52 लाख।

श्री एस.एस. अहलुवालिया: It is a news to me. यह सिर्फ एक करोड़ बावन लाख लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं।

श्री उपसभापति: फेमिली हैं।

श्री एस.एस. अहलुवालिया: मंत्री जी क्या कह रहे हैं, उनको सुनिए। एक तरफ तो मंत्री जी कह रहे हैं कि मंहगाई है और दूसरी तरफ कहते हैं कि मूल्य बढ़ रहा है। हम महंगा लेकर भी सस्ता दे रहे हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि गरीबी रेखा से नीचे की संख्या इतनी कम है। जरा बताएंगे।

डा. अखिलेश प्रसाद सिंह: मैंने धैर्यपूर्वक आपकी बात सुनी है, आप भी मेरा उत्तर धैर्यपूर्वक सुन लीजिए। अगर क्वैश्चन करते हैं तो सुनना चाहिए।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी: अभी आपने जो बताया है, मैं उसमें करक्शन कराना चाहता हूं कि 6.52 करोड़ जिनको देने की बात कर रहे हैं, यह 2000 के अनुसार है, जिनको आप देना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान में ही ऐसे लोगों की संख्या इस बीच में 6 लाख बढ़ गई है। तो क्या करेंगे, आप यह बताइए।

डा. अखिलेश प्रसाद सिंह: जरा आप सुन तो लीजिए।

श्री उपसभापति: सुन लीजिए।

डा. अखिलेश प्रसाद सिंह: आपको यह जानकर खुशी होगी। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: सभी को खुशी हो रही है। ...**(व्यवधान)**...

डा. अखिलेश प्रसाद सिंह: सर, जो ऑफ टेक है, जो एनडीए रिजीम का ऑफ टेक था और जो हमारा ऑफ टेक है, उसकी फिगर्स जानकर भी आपको खुशी होगी। सन् 2003-04 में ऑफ टेक 290 लाख टन था। जब यूपीए सरकार आई, जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं कि हम नहीं दे रहे हैं। मैं चार साल के फिगर्स आपके सामने रख देता हूं। वर्ष 2004-05 में 294 लाख टन, वर्ष 2005-06 में 311 लाख टन, वर्ष 2006-07 में 314 लाख टन और वर्ष 2007-08 में 333 लाख टन। ...**(व्यवधान)**...

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी: और चाहिए 500 लाख टन। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: नहीं, नहीं, कैसे? ...**(व्यवधान)**... यह गेहूं का है? ...**(व्यवधान)**...

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी: सर, यह गेहूं और सब को मिलाकर है। ...**(व्यवधान)**...

डा. अखिलेश प्रसाद सिंह: सर, यह चावल, गेहूं, कोर्स फूड ग्रेंस सब मिलाकर है। पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम में ये तीनों ही दिए जाते हैं। ...**(व्यवधान)**... जहां तक आपने छह लाख बढ़ने की बात कही है, तो 2004 के मुकाबले में 2008 की पॉपुलेशन एस्टीमेट के अनुसार गरीबी घटी है। ...**(व्यवधान)**... पहले एस्टीमेट के अनुसार ...**(व्यवधान)**...

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी: सर, मैं आपको यू.एन.डी.पी. की रिपोर्ट बताऊं क्या? ...**(व्यवधान)**...

श्री एस.एस. अहलुवालिया: मंत्री जी, क्या आपने यू.एन.डी.पी. की रिपोर्ट पढ़ी है? ...**(व्यवधान)**... आप पहले रिपोर्ट पढ़िए, उसके बाद हमें बताइये। ...**(व्यवधान)**... मैंने यह पढ़ा था। मैंने वर्ल्ड रिपोर्ट पढ़ी थी, जो कि जून, 2008 में आई थी। उसमें कहा था और 12 परिवारों का नाम लिया था कि इनकी ...**(व्यवधान)**...

डा. अखिलेश प्रसाद सिंह: अहलुवालिया साहब, सदन के बाहर की बात ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: अहलुवालिया जी। ...**(व्यवधान)**...

श्री एस.एस. अहलुवालिया: आप मंत्री हैं, आपको वर्ल्ड हैल्थ रिपोर्ट भी पढ़नी पड़ेगी और वर्ल्ड पॉवरटी रिपोर्ट भी पढ़नी पड़ेगी। उसका जवाब भी देना पड़ेगा। ...**(व्यवधान)**...

डा. अखिलेश प्रसाद सिंह: अहलुवालिया साहब, हम यहां मंत्री हैं। बाहर कालेज में मैं पढ़ाता था, इसलिए हमने रिपोर्ट यहां भी पढ़ी है। ...**(व्यवधान)**...

श्री एस.एस. अहलुवालिया: अच्छी बात है। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: ठीक है। अब इस चर्चा में नहीं जाइए। आप सरकार में हैं। ...**(व्यवधान)**...

डा. अखिलेश प्रसाद सिंह: सर, पहले जहां 36 परसेंट गरीबी रेखा के नीचे का परिवार था, वह घटकर इस आकलन के बाद 27.5 परसेंट हो गया है और मात्र तीन स्टेट में बढ़ा है। ...**(व्यवधान)**... 36 से 27.5 परसेंट हो गया है।

श्री एस.एस. अहलुवालिया: एक तरफ कीमतें बढ़ी हैं। लोगों की नौकरियां जा रही हैं। ...**(व्यवधान)**...

डा. अखिलेश प्रसाद सिंह: यूपीए सरकार की पॉलिसी है कि ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: ठीक है, ठीक है। ...**(व्यवधान)**...

श्री एस.एस. अहलुवालिया: यह फिगर जगलरी है। ...**(व्यवधान)**...

डा. अखिलेश प्रसाद सिंह: यह फिगर जगलरी नहीं है। ...**(व्यवधान)**...

श्री एस.एस. अहलुवालिया: यह फिगर जगलरी है। ...**(व्यवधान)**...

डा. अखिलेश प्रसाद सिंह: आप सदन में फिगर जगलरी की बात नहीं कर सकते हैं। ...**(व्यवधान)**... अगर मैं कोई गलत बात कहता हूं, तो आप प्रिवलेज ले आइये। ...**(व्यवधान)**...

श्री एस.एस. अहलुवालिया: हां, ले आयेंगे। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: आप कन्क्लूड कीजिए। ...**(व्यवधान)**...

डा. अखिलेश प्रसाद सिंह: सर, मैं यील्ड नही करता हूं, उनको खड़ा नहीं होना चाहिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: वह गुमराह नहीं होंगे। आप क्यों फिक्र करते हैं? ...**(व्यवधान)**... आप बोलिए।

डा. अखिलेश प्रसाद सिंह: उपसभापति महोदय, मैं यह कह रहा था कि जहां पहले 36 परसेंट गरीबी थी, वह घटकर 27.5 परसेंट रह गई है। चतुर्वेदी साहब जिस स्टेट से आते हैं, मुझे लगता है कि उनकी जो सूचना है, वह गलत है, योजना आयोग के अनुसार गरीबी राजस्थान में भी घटी है, गरीब परिवारों की संख्या राजस्थान में भी घटी है। तीन स्टेट में निश्चित रूप से गरीबी रेखा के परिवारों का परसेंटेज बढ़ा है - उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और ...**(व्यवधान)**...

डा. अखिलेश प्रसाद सिंह: एक और स्टेट है, जो राजस्थान नहीं है। वहां पर गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की संख्या बढ़ी है। अदरवाइज, पूरे देश में ...**(व्यवधान)**... हो सकता छत्तीसगढ़ हो। ...**(व्यवधान)**... उड़ीसा, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड है। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: ठीक है।

डा. अखिलेश प्रसाद सिंह: जहां तक ...**(व्यवधान)**... हो गया कैसे, अभी और सुनना पड़ेगा। जब सवाल किया है तो ...**(व्यवधान)**... जहां तक प्रोक्योरमेंट की बात है, हम लोगों ने जो करेक्टिव मेजर्स लिया था, उसके बाद इसमें भी परिवर्तन हुआ है। पिछली बार रिकार्ड प्रोक्योरमेंट हुआ और पहली बार यूपीए सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया। आजादी के बाद इतना प्रोक्योरमेंट कभी नहीं हुआ। एफसीआई ने और भारत सरकार ने लगभग 227 लाख टन गेहूं प्रोक्योर किया, जो आज तक का रिकार्ड है। पहली बार 285 लाख टन चावल भारत सरकार ने प्रोक्योर किया, जो एक रिकार्ड है। ...**(व्यवधान)**...

श्री एस.एस. अहलुवालिया: आप गिना रहे हैं, ...**(व्यवधान)**...

डा. अखिलेश प्रसाद सिंह: अहलुवालिया जी, आपको खराब क्यों लग रहा है?

श्री एस.एस. अहलुवालिया: मंत्री जी, सुनिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: देखिए, समय हो रहा है, हाफ एन आवर हो गया है।

श्री एस.एस. अहलुवालिया: मंत्री जी, बुरा मत मानिएगा। जब एक मंत्री बोल रहा होता है, तो वह सिर्फ बोल ही नहीं रहा होता है, वह सारे देश के लिए सूचना होती है। जब आप यह बात बोलते हैं कि पिछले पचास वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ। आपने चावल की बात भी कही। मैं वही पूछ रहा हूं कि चावल कब से, किस वर्ष से प्रोक्योर करना शुरू किया?

डा. अखिलेश प्रसाद सिंह: जब से न्यूनतम समर्थन मूल्य ...**(व्यवधान)**...

श्री एस.एस. अहलुवालिया: यही पता नहीं है ...**(व्यवधान)**... यह पता नहीं है, इसीलिए बोल रहा हूं।

श्री उपसभापति: आप कनकलूड कीजिए।

श्री एस.एस. अहलुवालिया: देखिए, अपोजिशन का काम है, मंत्री को रॉंग फुट पर पकड़ना और आप पकड़े गए।

डा. अखिलेश प्रसाद सिंह: यह रॉंग है। आप गुमराह हो रहे हैं और गुमराह कर रहे हैं।

श्री उपसभापति: मंत्री जी, अब कनकलूड कीजिए।

डा. अखिलेश प्रसाद सिंह: मैं ऐसा मंत्री नहीं हूं जिसको आप गुमराह कर सकें। ...**(व्यवधान)**...

श्री एस.एस. अहलुवालिया: या तो आप सच्ची इंफोर्मेशन दीजिए। ...**(व्यवधान)**...

डा. अखिलेश प्रसाद सिंह: यह सच्ची इंफोर्मेशन है। ...**(व्यवधान)**... 285 लाख टन चावल ...**(व्यवधान)**... कभी देश में प्रोक्योर नहीं हुआ था। ...**(व्यवधान)**...

श्री एस.एस. अहलुवालिया: यह गांधी मैदान का भाषण नहीं है। ...**(व्यवधान)**... हमारी पार्लियामेंट में भाषण है तो इंफोर्मेशन दो। ...**(व्यवधान)**... Why are you compelling me to listen? ...*(Interruptions)*... Mr. Narayanasamy, who are you to tell me? ...*(Interruptions)*... Why should I listen to a wrong fact?

SHRI V. NARAYANASAMY: Please hear the Minister ...*(Interruptions)*...

SHRI S.S. AHLUWALIA: I am hearing him. But if the information is not full, I have a full right to ask him. ...*(Interruptions)*...

SHRI V. NARAYANASAMY: You can seek a clarification. ...*(Interruptions)*...

SHRI S.S. AHLUWALIA: I just wanted to know since when the Minister started the procurement of paddy. Just tell me... ...*(Interruptions)*...

श्री उपसभापति: अहलुवालिया जी, अब तक हंस कर बात कर रहे थे। ...**(व्यवधान)**... मिस्टर अहलुवालिया जी, आप अब तक ...**(व्यवधान)**... आप राजनीति प्रसाद जी बैठिए। ...**(व्यवधान)**...

DR. AKHILESH PRASAD SINGH: Mr. Ahluwalia, I am capable of answering you. I will try to satisfy you to the point of satisfaction. Just be patient.

SHRI S.S.AHLUWALIA: I have patience.

श्री उपसभापति: आप अब तक हंसकर बात कर रहे थे, अब क्यों गुस्से में आकर बात कर रहे हो। ...**(व्यवधान)**...

डा. अखिलेश प्रसाद सिंह: उपसभापति महोदय, मैं यह बता रहा हूं कि अहलुवालिया साहब को इस बात से खुशी होनी चाहिए कि यू.पी.ए. सरकार के प्रयास से न्यूनतम समर्थन मूल्य में जो इजाफा हुआ, उससे हमारे देश के किसान आगे आए। हमने उनसे जैसा वायदा किया था कि हम देश की खाद्य सुरक्षा से समझौता नहीं कर सकते, प्रधान मंत्री जी का वक्तव्य था और देश के किसानों को हम सैल्यूट करना चाहते हैं कि उन्होंने इतना अनाज पैदा

किया कि आज हमारे भंडार भरे हैं। हम आपके माध्यम से सदन को बताना चाहते हैं, चाहे आप बिहार से आते हों, झारखंड से आते हों, राजस्थान से आते हों या किसी भी स्टेट से आते हों, पहले APL में रेस्नलाइज किया गया था, लेकिन आज हम आपके माध्यम से अपील करते हैं कि अगर APL में भी किसी स्टेट को जरूरत हो, तो आज हम उनको चावल दे सकते हैं, गेहूं दे सकते हैं। आप जानते हैं कि सरकार OMS स्कीम चला रही है। हम लोग दो लाख टन गेहूं, per month, अतिरिक्त अलोकेशन दे रहे हैं। यह भी पहली बार हुआ है कि फरवरी के महीने में generally गेहूं की कीमत बढ़ती थी, लेकिन हम लोगों ने जब Open Market Sale Scheme के तहत गेहूं देना शुरू किया, तो उससे फरवरी के महीने में भी गेहूं का मूल्य स्थिर बना हुआ है। मुझे लगता है कि मैंने चतुर्वेदी जी, अहलुवालिया जी की सभी आशंकाओं को दूर करने की कोशिश की है, फिर भी यदि कुछ रह गया हो तो संदेह को दूर करने की कोशिश करूंगा।

MR. CHAIRMAN: The House is adjourned to meet tomorrow at 11 a.m.

The House then adjourned at sixteen minutes past nine of the clock till eleven of the clock on Wednesday, the 25th February, 2009